भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1870
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद

†1870. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) को देश में अपनी तरह के पहले विशेषीकृत राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में ऐसे और सहकारी विश्वविद्यालय खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हां, मान्यवर ।

(ख) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का लक्ष्य और उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान करने हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान करना, सहकारी समितियों के कर्मियों और बोर्ड के सदस्यों का कौशल विकास सहित क्षमता निर्माण करना, सहकारी अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना और "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करना और संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना है ।

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं : –

(i) प्रस्तावित विश्वविद्यालय में शीर्ष पर एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति होंगे। एक कार्यकारी परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कुलपति होंगे और जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा । विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों में आठ प्रधान निकाय, अर्थात शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद, IRMA स्कूल का कार्यकारी बोर्ड, क्षमता निर्माण परिषद, आकलन और सुधार परिषद, अनुसंधान और विकास परिषद, प्रत्यायन और मान्यता बोर्ड, वित्त समिति और प्रत्येक स्कूल का सहकारी अध्ययन बोर्ड शामिल होंगे । ये सभी निकाय कार्यकारी परिषद के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे ।

(ii) प्रस्तावित विश्वविद्यालय डेयरी, मात्स्यिकी, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, आदि जैसे सेक्टर विशिष्ट स्कूल स्थापित करेगा । प्रत्येक स्कूल के प्रमुख डीन होंगे जोकि उक्त स्कूल का प्रधान शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी होगा । प्रत्येक स्कूल में एक सहकारी अध्ययन बोर्ड भी होगा जिसकी अध्यक्षता डीन करेगा ।

(iii) प्रस्तावित विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सामूहिक ई-लर्निंग (mass e-learning) प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाएगा ।

(iv) प्रस्तावित विश्वविद्यालय संबद्ध सहकारी संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्रों के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यकलापों के एकीकरण, समन्वय और मानकीकरण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इन उपायों में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान और विकास प्रदान करना और प्रोत्साहित करना शामिल है ।

मंत्रालय ने NCCT की भूमिका को व्यापक बना दिया है और सहकारी प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा, एमबीए, आदि जैसे नियमित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, इसे सहकारी समितियों के क्षेत्र में केस स्टडी तैयार करने, अनुसंधान और विकास करने जैसी और जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारी समितियों के लिए लाभकारी सरकारी योजनाओं और उक्त योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया के बारे उनके बीच जागरुकता लाने हेतु ग्राम स्तर (स्केलिंग अप) तक जागरुकता कार्यक्रम भी संचालित कर रही है।

NCCT द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को "कॉमन सेवा केंद्र (CSC)" के रूप में कार्य करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने से, पैक्स को 300 e-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है। इस परियोजना का आरंभ दिनांक 18.06.2024 को और समापन दिनांक 30.11.2024 को किया गया जिसके अंतर्गत देश भर में 30134 पैक्स के सचिवों को, पैक्स और उनके सदस्यों द्वारा CSC सेवाओं के प्रभावशाली उपयोग के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

*****